

एसईसी-1/187(2)/2026/2942

दिनांक: 24 जुलाई, 2026

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>लिस्टिंग विभाग,</b><br>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड<br>एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,<br>बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 | <b>कॉर्पोरेट संबंध विभाग</b><br>बीएसई लिमिटेड<br>पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स<br>दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001                             |
| <b>स्क्रिप कोड-RECLTD</b>                                                                                                                           | <b>स्क्रिप कोड-532955</b>                                                                                                                            |
| <b>Listing Department</b><br>National Stock Exchange of India Limited<br>Exchange Plaza, Bandra kurla Complex,<br>Bandra (East), Mumbai-400 051.    | <b>Corporate Relationship Department</b><br>BSE Limited<br>1 <sup>st</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers<br>Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. |
| <b>Scrip Code-RECLTD</b>                                                                                                                            | <b>Scrip Code-532955</b>                                                                                                                             |

**विषय: 24 जुलाई, 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक का परिणाम।**

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") के निदेशक मंडल ने 24 जुलाई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदित किया:

- अनानुमोदित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित):** 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनानुमोदित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित), जिनकी समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और 24 जुलाई, 2026 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में अनुमोदित की गई है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों मेसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी और मेसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी द्वारा उक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है। वित्तीय परिणामों और उसकी सीमित समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में इसके साथ संलग्न है।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 अंतरिम लाभांश:** ₹10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 24.25/- (केवल चार रुपये और पच्चीस पैसे) की दर से 1 अंतरिम लाभांश घोषित किया गया है। इसके अलावा, उक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से शेयरधारकों की पात्रता की गणना के लिए अभिलेख तिथि शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 है और उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान 23 अगस्त, 2026 को या उससे पहले उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम (i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में 31 जुलाई, 2026 को कारोबार बंद होने तक डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत विवरणों में लाभकारी स्वामी के रूप में; और (ii) भौतिक शेयरों के संबंध में 31 जुलाई, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में दर्ज हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश की रिकॉर्ड तिथि:** शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 तय की गई है, जिसके तहत प्रत्येक ₹10/- के इक्विटी शेयर पर ₹1.55 (केवल एक रुपया और पचपन पैसे) का अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भुगतान किया जाएगा, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा पहले ही अनुशंसित किया जा चुका है। आगामी वार्षिक बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन।  
आम बैठक (एजीएम) और उक्त अंतिम लाभांश उन शेयरधारकों को **24 सितंबर, 2026** को या उससे पहले दिया जाएगा, जिनके नाम उन शेयरों के संबंध में 14 अगस्त, 2026 को कारोबारी घंटों के दौरान डिपॉजिटरी (ओं) द्वारा प्रस्तुत विवरण में ( ) लाभप्रद मालिकों के रूप में दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए; और ( ) 14 अगस्त, 2026 को भौतिक शेयरों के संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में दिखाई देते हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना अनिवार्य है। इसी के मद्देनजर, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि यदि

कोई शेयरधारक कम दरों पर कर कटौती करवाना चाहता है या कर कटौती न करवाना चाहता है, तो उसे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पैन कार्ड, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति 31 जुलाई, 2026 या उससे पहले ईमेल के माध्यम से [virenders@alankit.com](mailto:virenders@alankit.com) पर जमा करनी होगी, यदि पहले से जमा नहीं की गई हो, और इसकी एक प्रति [recigr@alankit.com](mailto:recigr@alankit.com) को भी भेजनी होगी। **31 जुलाई, 2026 के बाद कर निर्धारण/कम दरों पर कर कटौती के संबंध में कोई भी संचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि लिस्टिंग विनियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार, लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। चेक या वारंट जैसे भौतिक साधनों के माध्यम से लाभांश भेजने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी को अपडेट करें ताकि लाभांश का निर्बाध भुगतान सुनिश्चित हो सके।

- **डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया अपने डीपी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपने बैंक विवरण को पंजीकृत या अपडेट करें।
- **भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए:** कृपया कंपनी/आरटीए से संपर्क करें और अपेक्षित दस्तावेज जमा करके अपने फोलियो में अपने केवाईसी और बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत या अद्यतन करें।

4. **21 जुलाई, 2026 से कंपनी की अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक** के रूप में श्रीमती पूनम चौहान की नियुक्ति। अन्य अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक-2** के रूप में इसके साथ संलग्न हैं।
5. 1 अगस्त, 2026 से कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में **श्री मुकुल अग्रवाल की नियुक्ति। अन्य अपेक्षित विवरण अनुलग्नक-3** के रूप में इसके साथ संलग्न हैं।

बोर्ड की बैठक दोपहर 12:00 बजे शुरू हुई और 3:55 बजे समाप्त हुई।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,  
आरईसी लिमिटेड के लिए

(दिनेश गर्ग)  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

संलग्न: उपरोक्तनुसार

---

**क्षेत्रीय कार्यालय :** बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

**राज्य कार्यालय :** वडोदरा, वाराणसी

**प्रशिक्षण केंद्र :** आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद